



पत्र सं०-एम-4-07/2017...6071/वि०

बिहार सरकार
वित्त विभाग

सुजाता चतुर्वेदी,
प्रधान सचिव ।

सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/
सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/
सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार, पटना ।

पटना-15, दिनांक...30/8/17.....

31 AUG 2017
विषय :-

औरंगाबाद प्रसंग:-

बैंक खातों में संचित राशि की समीक्षा कर प्रतिवेदित करने के संबंध में ।

मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक-5819, दिनांक 19.08.2017 एवं वित्त विभागीय पत्रांक-5903/वि०, दिनांक 23.08.2017

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों का कृपया स्मरण किया जाय, जिसके द्वारा बैंक खातों से संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र-A, B एवं C में उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है । विहित प्रपत्र-A, B एवं C में आवश्यक संशोधन किया गया है । साथ ही कतिपय संलग्न कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रासंगिक विवरणी कार्यालय स्तर से सीधे वित्त विभाग को प्रेषित की जा रही है ।

अतः अनुरोध है कि अपने विभाग/प्रमंडल/जिला के विभिन्न कार्यालयों से बैंक खातों से संबंधित विवरणी प्राप्त कर समेकित रूप से संशोधित विहित प्रपत्र-A, B एवं C में प्रतिवेदन की हार्डकॉपी के साथ-साथ ई-मेल आई.डी. finance1@bihar.gov.in पर Excel में तैयार की गई सॉफ्टकॉपी (स्कैन नहीं किया हुआ) निर्धारित तिथि तक वित्त विभाग को प्रेषित की जाय ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय ।

अनु०-यथोक्त ।

विश्वासभाजन

30/8/17
(सुजाता चतुर्वेदी)
प्रधान सचिव ।

साफांक - 147/2017/वि० दिनांक - 31.8.17

प्रतिवेदन :- सभी कार्यालय प्रधान/सभी निवासी एवं व्यक्त पदाधिकारी, औरंगाबाद जिला, को संशोधित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित ।

31.8.17
उप वि० अभ्युक्त, औरंगाबाद

